



9 February, 2024

चुनाव आयुक्तों के चयन/नियुक्ति की नई प्रक्रिया

संदर्भ: यह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए परामर्श प्रक्रिया के आरम्भ का प्रतीक है।

पृष्ठभूमि:

- पहले, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार के विवेक पर निर्भर करती थी।
- हालाँकि, निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विभिन्न वर्षों में दायर याचिकाओं के कारण उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है।

उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप:

- अक्टूबर 2018 में, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 324 की व्याख्या करने के लिए इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया था।
- न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सितंबर 2022 में इन याचिकाओं पर सुनवाई आरम्भ की थी।
- याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 324(2) का उल्लेख किया और एक परामर्शात्मक प्रक्रिया की मांग करते हुए अपारदर्शी नियुक्ति प्रणाली की आलोचना की।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहले की नियुक्ति प्रक्रिया:

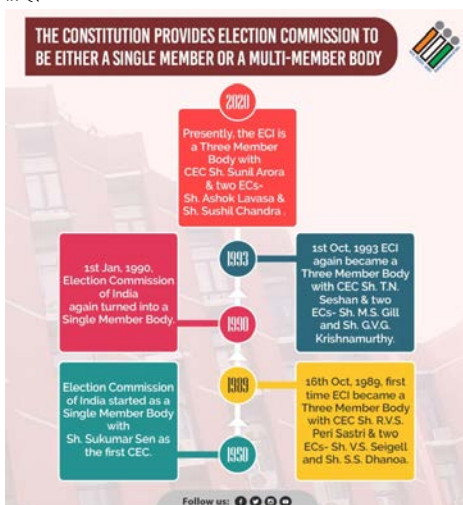
- चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार कार्यकारी (संघ सरकार) के पास है।
- इसके लिए कानून मंत्रालय द्वारा सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के डेटाबेस से एक शॉर्टलिस्ट बनाई जाती थी।
- प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव आयुक्तों की अंतिम नियुक्ति की जाती थी, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाता था।

उच्चतम न्यायालय के प्रति केंद्र का रुख:

- केंद्र ने संसदीय कानून के अभाव का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप का विरोध किया है।
- इसने मौजूदा प्रक्रिया का बचाव किया और न्यायिक हस्तक्षेप के खिलाफ अपना तर्क दिया।

उच्चतम न्यायालय का फैसला:

- विगत 2 मार्च, 2023 को उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक परामर्श प्रक्रिया आवश्यक थी।
- इसके लिए न्यायालय ने प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने वाली एक प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की।
- साथ ही इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया, कि संसद भविष्य में नियुक्ति प्रक्रिया पर कानून बना सकती है।



परामर्शी/परामर्शदायी प्रक्रिया का प्रस्ताव:

- इस संदर्भ में वर्ष 1990 की दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता वाली समिति और वर्ष 2015 के विधि आयोग की रिपोर्ट ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के साथ भी इस तरह के प्रस्ताव परामर्श हेतु भेजे गए थे।

उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद:

- केंद्र सरकार ने अगस्त में संसद में एक विधेयक पेश किया था।
- दिसंबर 2023 में पारित, विधेयक एक समिति की स्थापना का प्रस्ताव करता है जिसमें प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल हैं।
- इस समिति की विशेष संरचना के कारण, न्यायालय के सुधारों को संभावित रूप से कमजोर करने के लिए आलोचना भी की गई है।

वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली

संदर्भ: कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा दी गई हालिया जानकारी के अनुसार, सरकार वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालियों को बढ़ावा देने में अग्रणी रही है।

वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए कानूनी ढांचा (एडीआर):

- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89; लोक अदालतों सहित मध्यस्थता, सुलह और न्यायिक निवारण तंत्र जैसे एडीआर तरीकों के माध्यम से विवादों के समाधान को सक्षम बनाती है।
- मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की धारा 6, अदालतों को वैवाहिक विवादों सहित समझौता योग्य अपराधों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अधिकार देती है, जो अदालत द्वारा अग्रतर विचार के अधीन है।

मामले के निपटान और न्याय वितरण में सरकार की भूमिका:

- सरकार न्यायपालिका द्वारा मामलों के कुशल निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- पहलों में न्याय वितरण एवं कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन और न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाएं शामिल हैं।

न्यायिक अवसररचना विकास:

- न्यायिक बुनियादी ढांचे के अवसररचनात्मक विकास हेतु कोर्ट हॉल, आवासीय क्वार्टर और डिजिटल सुविधाओं के निर्माण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत धन आवंटित किया जाता है।
- ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट का लक्ष्य जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को आईटी सक्षम बनाना है, जिसमें चरण-III के लिए हाल ही में मंजूरी दी गई है। इस चरण में ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीकों को शामिल किया गया है।

न्यायिक नियुक्तियाँ और बकाया में कमी:

- सरकार उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को नियमित रूप से भरती है।
- उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में बकाया समितियाँ फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से संबंधित मामलों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।



Face to Face Centres





9 February, 2024

➤ विधायी सुधार:

- परक्राम्य लिखत अधिनियम, 2018 (Negotiable Instruments Act, 2018), विशिष्ट राहत अधिनियम, 2018 और आपराधिक कानून अधिनियम, 2018 जैसे कानूनों में संशोधन का उद्देश्य न्याय वितरण में तेजी लाना है।
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 का अधिनियमन और उसके बाद के संशोधन संस्थागत मध्यस्थता और त्वरित कार्यवाही को बढ़ावा देते हैं।

➤ एडीआर प्रमोशन:

- सरकार मध्यस्थता और लोक अदालतों जैसे एडीआर तंत्रों को कम प्रतिकूल विकल्पों के रूप में बढ़ावा देती है।
- मध्यस्थता अधिनियम, 2023, मध्यस्थता के लिए एक विधायी ढांचा प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

➤ लोक अदालतों की भूमिका:

- लोक अदालतें विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मंच के रूप में काम करती हैं, जो पारंपरिक मुकदमेबाजी का एक विकल्प प्रदान करती हैं।
- लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माने जाते हैं, उनके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है।

अल्ट्राकोल्ड परमाणु

संदर्भ: रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआरआई) के भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नवीनतम छवि-सुधार (इमेज कोरेक्शन) एल्गोरिदम विकसित किया है, जो अल्ट्राकोल्ड परमाणुओं की जांच में उल्लेखनीय रूप से योगदान देता है।

➤ अल्ट्राकोल्ड परमाणुओं का परिचय:

- अल्ट्राकोल्ड परमाणु वे होते हैं, जिनका तापमान पूर्ण शून्य के करीब होता है, जहां उनके क्वांटम-मैकेनिकल गुण प्रभावी हो जाते हैं।
- ऐसे कम तापमान को प्राप्त करने के लिए आमतौर पर विभिन्न तकनीकों के संयोजन की आवश्यकता होती है।

➤ अध्ययन की गई प्रायोगिक घटना:

- अल्ट्राकोल्ड परमाणुओं के साथ प्रयोग कई प्रकार की घटनाओं की जांच में क्वांटम चरण संक्रमण, बोस-आइंस्टीन संघनन (बीईसी), सुपरफ्लुइडिटी, क्वांटम चुंबकत्व आदि शामिल हैं।
- अल्ट्राकोल्ड परमाणु प्रणालियों का उपयोग अपनी सीमा से परे भौतिकी का अध्ययन करने के लिए क्वांटम सिमुलेटर के रूप में किया जाता है। उदाहरणतः एकात्मक फर्मी गैसों और आइसिंग तथा हबर्ड मॉडल।
- अल्ट्राकोल्ड परमाणु के संभावित अनुप्रयोगों में क्वांटम कंप्यूटर का कार्यान्वयन भी शामिल है।

➤ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- अल्ट्राकोल्ड परमाणु के नमूने लेजर क्षेत्रों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से तैयार किए जाते हैं, जिसमें 1901 के विकिरण दबाव के प्रमाण भी मौजूद हैं।
- परमाणु शीतलन के लिए लेजर प्रकाश का उपयोग सर्वप्रथम 1975 में प्रस्तावित किया गया था, जिससे डॉपलर शीतलन जैसी तकनीकें और मैग्नेटो-ऑप्टिकल ट्रैप (एमओटी) का विकास हुआ।
- बाष्पीकरणीय शीतलन, जिसका उपयोग और भी कम तापमान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, से बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट (बीईसी) की खोज हुई थी।

➤ अल्ट्राकोल्ड परमाणुओं के अनुप्रयोग:

- क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार:**
 - अल्ट्राकोल्ड परमाणु क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्किंग जैसे क्वांटम सूचना प्रसंस्करण कार्यों का समर्थन करते हैं।

- वे अपनी सुसंगतता और नियंत्रण के कारण क्वांटम लॉजिक गेट और एल्गोरिदम को सक्षम करते हैं।

• परिशुद्धता माप:

- अल्ट्राकोल्ड परमाणु स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण बल और क्षेत्रों को मापने में सटीकता दर्शाते हैं।
- वे परमाणु घड़ियों और सेंसर्स के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ, मेट्रोलॉजी सीमाओं के पार अपना कार्य करते हैं।

• जैविक प्रणाली अनुकरण:

- अल्ट्राकोल्ड परमाणु जैविक प्रक्रियाओं का अनुकरण करते हैं, जिससे जैविक अणुओं के सहसंबंध और भेषज अनुसंधान को समझने में सहायता होती है।
- साथ ही साथ ये प्रोटीन संरचना और एंजाइमैटिक प्रतिक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

• क्वांटम सेंसिंग और इमेजिंग:

- अल्ट्राकोल्ड परमाणु चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों की उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग और सेंसिंग क्षमता को सक्षम बनाते हैं।
- उनके पास विभिन्न अनुप्रयोग, चिकित्सा निदान, पर्यावरण निगरानी और धातु वर्गीकरण जैसी क्षमता होती है।

• ब्रह्माण्ड संबंधी घटनाओं का अनुकरण:

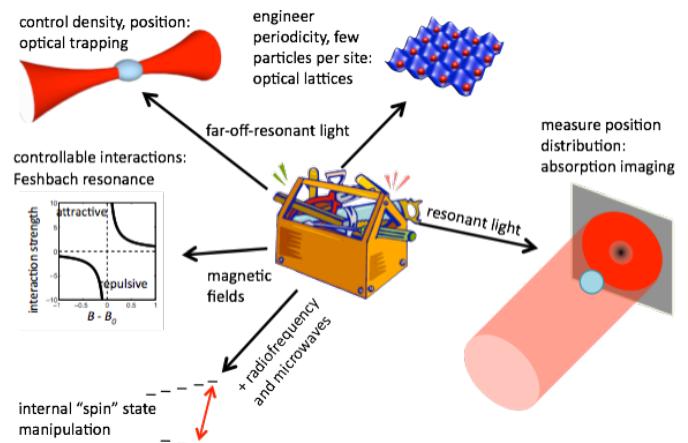
- अल्ट्राकोल्ड परमाणु डार्क मैटर व्यवहार जैसी जटिल ब्रह्माण्ड संबंधी घटनाओं का अनुकरण करते हैं।
- वे आकाशगंगा निर्माण और ब्रह्माण्ड संबंधी विकास को समझने में सहायता करते हैं।

• क्वांटम सामग्री अनुसंधान:

- अल्ट्राकोल्ड परमाणु प्रणाली सुपरकंडक्टर्स और टोपोलॉजिकल इंसुलेटर जैसी क्वांटम सामग्रियों का मॉडल बनाते हैं।
- वे संघनित पदार्थ प्रणालियों में नवीन क्वांटम चरणों और इलेक्ट्रॉन व्यवहार का भी पता लगाते हैं।

• क्वांटम रसायन विज्ञान और आणविक गतिशीलता:

- अल्ट्राकोल्ड परमाणु रासायनिक प्रतिक्रियाओं और आणविक गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए एक नियंत्रित पद्धति प्रदान करते हैं।
- वे विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियात्मक संबंधों को उजागर करते हैं, मध्यवर्ती की पहचान करते हैं और कुशल उत्प्रेरक का निर्माण भी करते हैं।





9 February, 2024

NEWS IN BETWEEN THE LINES

आदि महोत्सव



राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगी।
आदि महोत्सव के बारे में:

- आदि महोत्सव 2017 से मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है।
- यह एक राष्ट्रीय आदिवासी त्योहार है जो भारत की जनजातियों की संस्कृति, विरासत और उत्पादों का उत्सव मनाता है।
- यह जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) की एक संयुक्त पहल है।
- आदि महोत्सव 2024 का आयोजन 10 से 18 फरवरी, 2024 तक किया जाएगा।
- यह न केवल आदिवासी कारीगरों की असाधारण प्रतिभा और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने का एक मंच है, बल्कि आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण पर वार्ता करने, सीखने और योगदान करने का अवसर भी है।

ओलिव रिडले कछुए



हाल ही में, मैंगलोर के तन्नीरभवी और सासिथिलु समुद्र तटों पर लगभग 12 ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले पाए गए, जो 29 वर्षों में पहली बार घोंसला बनाने की घटना है।

ओलिव रिडले कछुओं के बारे में:

- ओलिव रिडले कछुए (लेपिडोचिल्स ओलिवेसिया) दुनिया के सबसे छोटे और सबसे आम समुद्री कछुए हैं।
- ये मुख्य रूप से प्रशांत और हिंद महासागरों के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं, जिनमें भारत, मैक्सिको और कोस्टा रिका इनके महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल हैं।
- ये एक अद्वितीय सामूहिक घोंसला बनाने की घटना को प्रदर्शित करते हैं जिसे "अरिबाडा" के नाम से जाना जाता है, जहां आमतौर पर रात के दौरान हजारों कछुए अंडे देने के लिए एक साथ तट पर आते हैं।
- ये सर्वाहारी हैं, मुख्य रूप से जेलिफिश, क्रस्टेशियंस और छोटी मछलियों को खाते हैं।
- 2021 में, एक चिंताजनक घटना सामने आई जब लाखों ओलिव रिडले कछुए ओडिशा में रुशिकुल्या नदी के मुहाने के पास अपना सामूहिक घोंसला नहीं बना पाए थे।
- ओडिशा में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कछुए के झुंड के रूप में प्रसिद्ध है।
- इन्हें भारत में वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची-I जानवरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उनके संरक्षण महत्व पर प्रकाश डालता है।
- इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

फेम II योजना

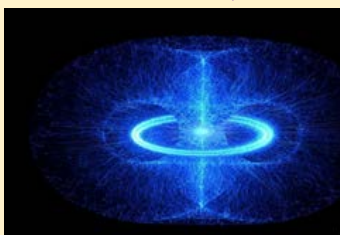


हाल ही में, भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने बताया की FY24 के लिए 31 जनवरी तक FAME-II सब्सिडी फंड इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का कुल उपयोग 1,980.83 करोड़ रुपये था, जो कि इसके कुल आवंटन का केवल 38 प्रतिशत है।

फेम II योजना के बारे में:

- फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME II) योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है।
- भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्षों के लिए लागू किया गया है।
- इस योजना का लक्ष्य महानगरों, दस लाख से अधिक आबादी वाले अन्य शहरों, स्मार्ट शहरों और पहाड़ी राज्यों के शहरों में लगभग 2,700 चार्जिंग स्टेशनों के साथ चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है।
- यह ई-बसों को छोड़कर सभी ईवी के लिए प्रत्येक kWh बैटरी क्षमता के लिए 10,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- ई-बसों को INR 20,000/kWh का अधिकतम मांग प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- फेम इंडिया नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का एक हिस्सा है।

अल्टरमैग्नेट्स



वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोजे गए अल्टरमैग्नेट्स नामक चुंबकीय पदार्थों के एक नए वर्ग का अध्ययन किया है।

अल्टरमैग्नेट्स के बारे में:

- ये पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन पारंपरिक लौहचुंबकीय पदार्थों से भिन्न होते हैं।
- इनमें चुंबकीय विशेषताओं का एक अनूठा मिश्रण होता है जो उन्हें फेरोमैग्नेट जैसे पारंपरिक चुंबकीय पदार्थों से अलग करता है।
- इनकी दोहरी प्रकृति होती है, जो शून्य नेट चुंबकत्व वाले एंटीफेरोमैग्नेट और गैर-सापेक्षतावादी स्पिन विभाजन वाले फेरोमैग्नेट से मिलते-जुलते हैं।
- अल्टरमैग्नेट्स लौहचुंबक और प्रतिलौहचुंबक दोनों में देखे जाने वाले गुणों को प्रदर्शित करते हैं।
- अल्टरमैग्नेट्स और लुटिगर फेरोमैग्नेट्स में अनुनाद आवृत्तियाँ परिमाण के 3 क्रम अधिक होती हैं।
- अल्टरमैग्नेटिक उपकरण स्पिनट्रॉनिक्स और न्यूरोमॉर्फिक सूचना प्रौद्योगिकियों में संभावित अनुप्रयोगों के लिए भी आकर्षक हैं।

Face to Face Centres





9 February, 2024

सुर्खियों में स्थल

पापुआ न्यू गिनी

हाल ही में, पापुआ न्यू गिनी के प्रधान मंत्री ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले हिन्द-प्रशांत नेता बने।



पापुआ न्यू गिनी (राजधानी: पोर्ट मोरेस्बी)

अवस्थिति : पापुआ न्यू गिनी एक द्वीप देश है जो दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में कोरल सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच स्थित है।

भौगोलिक सीमाएँ: इसकी सीमा सोलोमन द्वीप (पूर्व), इंडोनेशिया (पश्चिम) और ऑस्ट्रेलिया (दक्षिण) से लगती है।

भौतिक विशेषताएँ:

- सेपिक नदी न्यू गिनी द्वीप पर सबसे लंबी नदी है और निर्वहन मात्रा के हिसाब से ओशिनिया में दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
- बिस्मार्क रेंज में बसा माउंट विल्हेम पापुआ न्यू गिनी की सबसे ऊंची चोटी है।
- पापुआ न्यू गिनी में बहुत से ज्वालामुखी हैं जिनमें से लगभग 60% सक्रिय हैं।
- बिस्मार्क रेंज में बसा माउंट विल्हेम पापुआ न्यू गिनी की सबसे ऊंची चोटी है।

POINTS TO PONDER

- COP - 29 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा कि जाएगी? - अजरबैजान द्वारा की जायेगी।
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 28वें सत्र 'कॉप28' (COP28) का आयोजन कहाँ किया गया? - 30 नवंबर से 13 दिसंबर, 2023 तक यूएई के दुबई में।
- हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा की घोषणा की है? - ईरान
- 'ओल्जास बेक्तेनोव' को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? - कजाकिस्तान
- 'समान नागरिक संहिता' लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? - उत्तराखंड

Face to Face Centres

